सत्यमेव जयते

खंड ७ संख्या २३

बिहार विधान सभा वादवृत्त

1076

सरकारी रिपोर्ट

वृहस्पतिवार, तिथि २४ मार्च १९५५ ।

Vol. VII No. 23

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Thursday, the 24th March 1955.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रण, बिहार, पटना, द्वारा मुद्रित, १९५५ ।

[मूल्य—६ आना ।]

[*Price—Annas 6.*]

बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि २० अप्रैल, १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत नारायण लाल के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

Short Notice Questions and Answers.

दीघा थाना में दवाखाना ।

*३२६ । श्री मुंगेरी लाल—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दीघा थाना में सरकारी दवाखाना स्थानीय जनता के इलाज के लिये अभी तक नहीं बन पाया है ;

(ख) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र दवाखाना दीघा थाना में खोलकर स्थानीय जनता को आये दिन का कष्टों से मुक्त करेगी ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) दीघा थाने में कुर्जी महल्ले में मीशन की तरफ से एक बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है जिसके लिये सरकार की ओर से कर्ज के रूप में ५ लाख रुपये दिये गये हैं ।

सीतामढ़ी सबडिवीजन में कोयला और सीमेंट का अभाव ।

†३६७ । श्री राम सेवक शरण—क्या मंत्री, आपूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही ह कि मुजफ्फरपुर जिला के सीतामढ़ी सबडिवीजन में दो महीनों से कोयला और सीमेंट का अभाव है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी सबडिवीजन की आम जनता का कोयला और सीमेंट के अभाव में मकान बनाने का कार्य रूका हुआ है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि उक्त सबडिवीजन में पंच-वर्षीय योजना के अन्दर विकास विभाग के कार्य में भी कोयले और सीमेंट के अभाव में बाधा उत्पन्न हो रही है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र कोयला और सीमेंट उक्त सबडिवीजन में भेजने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*सदस्य की अनुपस्थिति में श्री दारोगा प्रसाद राय के अनुरोध से उत्तर दिया गया ।

†सदस्य की अनुपस्थिति में श्री राम चन्द्र यादव के अनुरोध से उत्तर दिया गया ।

की और उसका कंटेन्शन यह है कि अस्पताल में भर्त्ती होने की जरूरत है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ३, ४ रोज के बाद उस रोगिणी को डिसचार्ज कर देना जस्टिफायड था ? इस तरह के बहुत से केस आ रहे हैं जिन्हें अर्ध चिकित्सा के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य, श्री चेतू राम, डाक्टर नवाब की जांच की कोई रिपोर्ट भेज सकते हैं?

श्री चेतू राम—यदि आज्ञा हो तो मैं अभी पेश कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष—यदि माननीय सदस्य पेश कर सकते हैं तो यह विषय जांच का हो जाता है। माननीय मंत्री यदि उचित समझें तो इस विषय पर जवाब दे सकते हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, नवाब साहब के प्रेस्क्रिप्शन और उस संबंध में जो कागजात हों माननीय सदस्य मुझे दे दें और उन कागजों को मैं भेज दूँगा और दो-तीन डाक्टरों की एक कमिटी बना कर, किस तरह इनका इलाज होना चाहिये उसके संबंध में राय लेकर इलाज की व्यवस्था की जायगी।

SUBSIDY TO MEDICAL PRACTITIONERS.

427. **Shri JAMUNA PRASAD SINGH**: Will the Minister, Health Department, be pleased to state whether it is a fact that Government intend to grant subsidy to medical practitioners who settle and practice in villages ?

Shri HARINATH MISHRA: The reply is in the affirmative. Subsidies are being given for some years.

Shri TRIBENI KUMAR: What is the scheme and rate of the subsidy ?

श्री हरिनाथ मिश्र—अभी जो स्कीम चल रही है उस संबंध में चार-पांच पंक्तियां पढ़कर सुना देता हूँ।

Since 1938 the State Government have been giving subsidies to District Boards for encouraging medical practitioners to establish themselves in rural areas. The scheme provides for payment of a subsidy at the rate of Rs. 40 per month for a medical graduate and Rs. 30 a month for licentiates of Allopathic system and practitioners of Ayurvedic, Tibbi and Homeopathic systems. A sum of Rs. 300 is paid annually for supply of medicines to each Allopathic practitioner and Rs. 150 per annum to others. The maximum number of practitioners for whom subsidy is given in a district is twenty. District Board contributes one-third of the expenditure involved. For the purpose a sum of Rs. 90,000 has been provided each year during the period from 1948-49 to 1954-55. It is now proposed that the grant of Rs. 90,000 may be sanctioned for the year 1955-56 also.

श्री यमुना प्रसाद सिंह—यह स्कीम हर जगह अभी लागू हुई है या नहीं ?

श्री हरिनाथ मिश्र—जो स्कीम है उसका जिला बोर्ड ने या भिन्न-भिन्न जिलों ने अभी तक कितना उपयोग किया है, इसका विवरण मेरे पास अभी नहीं है, जब मंगवाऊँगा तो बता सकता हूँ।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—जिला बोर्ड के मातहत जो खर्च किया जाता है उसके अलावे सीधे सरकार के साथ इस स्कीम का कोई संबंध है या नहीं ?

श्री हरिनाथ मिश्र—सीधे इस स्कीम का सरकार के साथ संबंध रहे, इस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक निश्चय नहीं हुआ है।

श्री अनाथ कान्त वसु—जो सबसीडी दी जाती है वह डायरेक्ट दी जाती है या किसी संस्था बोर्ड के जरिये ?

श्री हरिनाथ मिश्र—इसका जवाब तो हमने बताया कि जिला बोर्ड के जरिये यह काम होता है।

श्री जनक सिंह—क्या एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिसनर्स को ही सबसीडी दी जाती है या आयुर्वेदिक, युनानी और होमियोपैथिक प्रैक्टिसनर्स को भी सबसीडी दी जाती है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—मैंने जो विवरण पढ़ा है उसमें यह साफ है कि सभी को मिलता है।

श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह—क्या सरकार ने ऐसी कोई हिदायत दी है कि किसी डाक्टर को ३ वर्ष से अधिक सबसीडी नही दी जाय ?

श्री हरिनाथ मिश्र—अभी डिटेल देने में मैं असमर्थ हूँ।

ADMISSION IN COLLEGE AT RANCHI.

456. Shri MANZOOR AHMAD: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any arrangement for the admission of the college going sons of Government servants accompanying Government during their summer exodus into any college at Ranchi just as is the case for the sons of Government servants reading in high schools at Patna ?

Shri BADRI NATH VERMA: No such provision has been made in any of the Colleges at Ranchi.